लाख इलेक्ट्रानिक लाइनें थीं जबकि 1992 में 5.827 लाख इलेक्ट्रो-मेकेनिकल लाइनें तथा 10.212 लाख इलेक्ट्रॉनिक लाइनें थीं। इलेक्ट्रो-मेकेनिकल लाइनों के लिए ग्रुप-ग के अधिकांश तकनीशियनों, आपरेटरों आदि की आवश्यकताएं होती हैं जबकि इलैक्ट्रानिक लाइनों के लिए हमें उच्च प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखने वाले समूह "क" तथा समूह "ख" के अधिकारियों की आवश्यकता होती है और समूह "ग" स्टाफ की बहुत कम आवश्यकता होती है।

(ङ) 1986 में केवल 264 एस टी डी रूट थे जबकि 1992 में केवल दिल्ली और बंबई से क्रमश: 1140 और 1645 एस टी डी रूट थे। तदनुसार, सीधे डायलिंग सुविधा में कई गुणा वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप ट्रंक परियात जोकि 1986 में लगभग 36,000 था, घट कर लगभग 29,000 रह गया जिसका परिणाम समूह "ग" के टेलीफोन आपरेटरों की आवश्यकता में कमी का होना है।

Settlement of old family pension cases

49. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received several representations for settlement of family pension cases from the widows of Postal employees and pensioners who were working under the Post Master General of West Bengal;

(b) whether in some cases widows have been awaiting Government's sanction for about two decades or so;

(c) whether any action has now been taken to settle these cases and to allow the widows to get their due pension alongwith arrears; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बचत बैंकों से रकम का निकाला जाना

50. **श्री राम नरेश यादव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कश्मीरी गेट स्थित प्रधान डाकघर के कर्मचारियों द्वारा जमाकर्ताओं के बचत खातों में से धोखा-धड़ी से पैसा निकालने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच पूरी होने के बाद कितने जमाकर्ताओं को उनकी रकम लौटा दी गई है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग का उत्तर "ना" में हो तो इसके क्या कारण हैं और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) तीन मामले।

(ख) दिल्ली जी पी ओ के बचत बैंक खाता सं० 1146291 से 18-12-92 को फतहपुरी के (दिल्ली जी०पी०ओ०) बचत बैंक खाता सं० 934571 से 24-7-92 को और फराशखाना (दिल्ली जी०पी०ओ०) के बचत बैंक खाता सं० 912621 से 25-8-92 को क्रमश: 75,000/- रु०, 21,000/- रु० और 99,600/- रु० जालसाजी करके निकाले गए थे।

(ग) केवल एक।

(घ) खाता सं० 1146291 के संबंध में 75,000 रु० के दावे का निपटान कर दिया गया है। शेष दो मामलों में से एक मामले में चूंकि निकाली गई राशि जाली खाते में से निकाली गई थी, अत: कोई दावा नहीं किया गया जिसे निपटाया